

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2013—श्रावण 23, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

शुद्धि-पत्र

क्र. 7556--इक्कीस-अ (प्रा.)—शुद्धि-पत्र “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण) दिनांक 5 फरवरी सन् 2013 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2013) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों तथा चिन्ह के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द तथा चिन्ह पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
1. स्थापित किया	92(2)	17	स्थापित किए
2. दे दिया	92(4)	07	दे दिए
3. अतिष्ठित	92(4)	31	अतिष्ठित
4. संचालक मंडल	92(7)	34	प्रशासक
5. बातिल न कर दिया जो	92(7)	35	बातिल न कर दिया जाए
6. नियुक्त किया गया	92(7)	38	नियुक्त किया गया प्रशासक
7. अध्याय पांच क	92(9)	02	अध्याय पांच-क
8. उसे अधिकारी	92(10)	15	उन्हें प्राधिकारी
9. बीमाकृत बैंक के मामले में निक्षेप बीमा निगम का पुनर्भुगतान	92(11)	धारा १३ का पार्श्व शीर्ष	बीमाकृत बैंक के मामले में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का पुनर्भुगतान
10. धारा २१	92(11)	26	की धारा २१
11. की ७४ में	92(11)	33	की धारा ७४ में

राजेश यादव, अपर सचिव.